

मत्स्य निदेशालय

नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

प्रेषक,

अभिषेक रंजन, भा०प्र०से०
निदेशक मत्स्य।

सेवा में,

संयुक्त मत्स्य निदेशक (मु०),
मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना।

मत्स्य/पटना, दिनांक 29/5/2025

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना हेतु स्वीकृत ₹1877.744 लाख (आठारह करोड़ सतहत्तर लाख चौहत्तर हजार चार सौ रुपये मात्र) के व्यय हेतु आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न अनुलग्नक-1 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना हेतु व्यय को वहन करने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-6 एस०एस० (6) 37/2023-1984 दिनांक-07.05.2025 के आलोक में कुल स्वीकृत राशि ₹1877.744 लाख (आठारह करोड़ सतहत्तर लाख चौहत्तर हजार चार सौ रुपये मात्र) के अन्तर्गत प्रथम चरण में कुल राशि ₹619.65552 लाख (छः करोड़ उन्नीस लाख पैसठ हजार पाँच सौ बावन रुपये मात्र) का आवंटन, व्यय का वहन करने हेतु आवंटित किया जाता है।

2. इस आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं०-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0102-मत्स्य सम्पदा-सात निश्चय-2, विपत्र कोड-02.2405007890102 विषय शीर्ष 0102.33.01-सब्सिडी मद एवं मांग सं०-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उपा योजना, उपशीर्ष-0110-मत्स्य सम्पदा, सात निश्चय-2, विपत्र कोड-02.2405007960110 विषय शीर्ष 0110.33.01-सब्सिडी मद के अंतर्गत स्वीकृत राशि का विकलन किया जाएगा।
3. योजनान्तर्गत आवंटित राशि को बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित कर व्यय की जाएगी जिसे लक्ष्यानुसार जिलों को अंतरित किया जाएगा।
4. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि०(2) दिनांक 17.04.1998, वित्त विभाग का पत्रांक 345 दि० 25.03.2021 (जिसके तहत योजनान्तर्गत उपबंधित राशि से अधिक व्यय निषेध होगा) के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा :-
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम-475 का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक करें, ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।
6. आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें अन्यथा इसकी सारी जबाबदेही आपकी होगी।
7. वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 25.03.2026 तक अवश्य भेज दें।
8. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाएगा।
9. निकासी की गई राशि का विस्तृत विपत्र निर्धारित अवधि में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को विधिवत समर्पित किया जाएगा।

अनुलग्नक :- अनुलग्नक-1 में पृष्ठ-1

विश्वासभाजन

निदेशक मत्स्य

ज्ञापांक : म०/बजट -08/202511...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 29/5/2025

प्रतिलिपि : अनुलग्नक-1 की प्रति के साथ सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट -08/202511...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 29/5/2025

प्रतिलिपि : अनुलग्नक-1 की प्रति के साथ संबंधित जिला पदाधिकारी/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट -08/202511...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 29/5/2025

प्रतिलिपि : अनुलग्नक-1 की प्रति के साथ जिला मत्स्य पदाधिकारी (संबंधित)/उप मत्स्य निदेशक (संबंधित)/संयुक्त मत्स्य निदेशक (संबंधित), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट -08/202511...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 29/5/2025

प्रतिलिपि : अनुलग्नक-1 की प्रति के साथ विभागीय योजना एवं बजट शाखा, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/मत्स्य निदेशालय के बजट एवं लेखा शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट -08/202511...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 29/5/2025

प्रतिलिपि : अनुलग्नक-1 की प्रति के साथ अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट -08/202511...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 29/5/2025

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाए।

निदेशक मत्स्य,

अनुलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2025-26 में पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना।

(राशि लाख में)

(सारांश लाइन नं)

क्र०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	मांग सं०- 02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0102-मत्स्य सम्पदा-सात निश्चय-2, विपत्र कोड-02.2405007890102 विषय शीर्ष 0102.33.01-सब्सिडी मद			मांग सं०- 02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0110-मत्स्य सम्पदा, सात निश्चय-2, विपत्र कोड-02.2405007960110 विषय शीर्ष 0110.33.01-सब्सिडी मद		
			अनु० जाति			अनु० जनजाति		
			भौतिक लक्ष्य (यूनिट)	स्वीकृत अनुदान राशि	वर्तमान आवंटन (33 प्रतिशत)	भौतिक लक्ष्य (यूनिट)	स्वीकृत अनुदान राशि	वर्तमान आवंटन (33 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बांका	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना।	25.00	206.800	68.24400	20.00	165.440	54.59520
2	औरंगाबाद		20.00	165.440	54.59520			
3	गया		10.00	82.720	27.29760			
4	कैमूर		30.00	248.160	81.89280	8.00	66.176	21.83808
5	नवादा		12.00	99.264	32.75712			
6	जमूई		52.00	430.144	141.94752	20.00	165.440	54.59520
7	मुंगेर		12.00	99.264	32.75712	2.00	16.544	5.45952
8	रोहतास		14.00	115.808	38.21664	2.00	16.544	5.45952
कुल :-			175.00	1447.60000	477.70800	52.00000	430.14400	141.94752

कुल 6,19,65,552/- (छः करोड़ उन्नीस लाख पैंसठ हजार पाँच सौ बावन रु० मात्र)

नोट-संबंधित जिलों को लक्ष्य के अनुसार बी०एल०डी०ए० के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

S. d. .

28/05/24
निदेशक मत्स्य